भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तरखण्ड की उपखनिज चुगान/खनन की पुनः अल्पकालीन निविदा सूचना।

कार्यालय जिलाधिकारी, चमोली।

निविदा विज्ञप्ति पत्रांक – 791 /तीस– MO (2016–2017) दिनांक : 19 नवम्बर, 2016

जिलाधिकारी, चमोली द्वारा जनपद के उपखनिज उपलब्ध राजस्व क्षेत्र के नदी तल क्षत्रों में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या– 601/खनन/भूखनि.ई./2013–14 दिनांक 06.10.2016 द्वारा पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त जनपद अन्तर्गत खनन लॉटों को निविदा प्रणाली के माध्यम से खनन लॉट आवंटित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0–1561/VII-1/80–ख/ 2016 दिनांक 30 सितम्बर, 2016 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार जनपद चमोली के स्थायी निवासी या जनपद के स्थायी निवासियों की समिति जो उत्तराखण्ड कोअपरेटिव सोसाईटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो को 5 हैक्टेयर क्षेत्रफल से कम क्षेत्रफल हेतु तथा राज्य के स्थायी निवासियों की समिति जो उत्तराखण्ड कोअपरेटिव सोसाइटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो 5 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल हेतु एक व्यक्ति एक खनन पट्टा या एक समिति एक खनन पट्टा सिद्धान्त के आधार पर निम्नलिखित निर्बन्धों एवं शर्तों के अधीन राजस्व क्षेत्रों मे 01 वर्ष या 30 सितम्बर, 2017 (वर्षाकाल 01 जुलाई से 30 सितम्बर तक खनन कार्य प्रतिबन्धित) जो भी पहले हो तक अवधि हेतु बिना मशीन (Excavator or JCB, etc) उपयोग के खनन अर्थात मैनुअल विधि से उपखनिज चुगान/खनन के खनन पट्टा निविदा प्रणाली के माध्यम से आवंटन हेतु नियमानुसार पुनः सीलबन्द लिफाफे में निविदा आमन्त्रित किये जाते है :–

सीलबन्द लिफाफे में निविदा प्रपत्र जमा करने की अन्तिम दिनांक, समय एवं स्थान

दिनांक: 14.12.2015, समय : 1.30 बजे अपराह्न तक, स्थान: जिला सभागार कक्ष, गोपेश्वर।

निविदा पूर्व बैठक का स्थान एवं समय (विज्ञप्ति की दिनांक के 07 दिन उपरान्त) दिनांक: 29.11.2015, समय : 1.30 बजे अपराह्न तक, स्थान: जिला सभागार कक्ष, गोपेश्वर।

सीलबन्द लिफाफे में निविदा खोले जाने का स्थान, दिनांक: 14.12.2016, समय 1.30 बजे अपराह्न स्थान – जिला सभागार कक्ष, गोपेश्वर–चमोली।

क्षेत्र का विवरण

क.सं.	खनन क्षेत्र का नाम/ग्राम तथा तहसील	खसरा/गाटा संख्या	खनन लॉट का क्षेत्रफल (है0 में)	निर्धारित मात्रा (टन में) प्रतिवर्ष	खनन नीति के प्रस्तर 3 ग के अनुसार निर्धारित मात्रा (टन में) प्रतिवर्ष	आधार मूल्य (रू0में) प्रतिवर्ष	बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) रू0 में (आधार मूल्य का 2%)	हैसियत (आधार मूल्य का 10%)	अनुमति State level Environment Assessment Auth Uttrakhand/ MOEF द्वारा प्रदत्त अनुमति का प्रत्रांक व तिथि
1.	लाता/जोशीमठ	69 व 2197म0	4.000है0	54675.00	27337.50	1368242.00	27365.00	136824.00	568–1(597)/2014 दिनांक 30.09.2014
2	जाखणी/चमोली	2748	0.400है0	13200.00	6600.00	330330.00	6607.00	33033.00	49–EC–1(68)/2013 dt 4-8-2013
3	चेपड़ों झूला पुल ऊपर/थराली	1117म0	1.250है0	41250.00	20625.00	1032281.25	20646.00	103228.00	44–EC–1(72)/2013 dt 4-8-2013
4	चेपड़ों सड़क नीचे(चेपड़ों से पीछे) थराली	1117म0 1001म0	0.530है0	17490.00	8745.00	437687.25	8754.00	43769.00	52–EC–1(66)/2013 dt 4-8-2013

	पालछुनी / थराली	30नं0	0.400है0	13200.00	6600.00	330330.00	6607.00	33033.00	59–EC–1(80) / 2013 dt 4-8-2013
6	पैठाणी / थराली	2918नं0	0.740है0	24420.00	12210.00	611110.50	12222.00	61111.00	46–EC–1(65) / 2013 dt 4-8-2013
7	जयकण्डी / कर्णप्रयाग	955नं0	4.900है0	50263.13	25131.56	1257835.00	25157.00	125784.00	54–EC–1(74) / 2013 dt 4-8-2013
8	चेपडो / थराली	1117	0.600है0	19800.00	9900.00	495495.00	9910.00	49550.00	1301–1(169) / 2013 dt 30-9-2013
9	आलीशाल / पोखरी	198,434, 730, 1418नं0	3.308है0	109164.00	54582.00	2731829.10	54637.00	273183.00	235–1(209) / 2013 dt 21-10-2013
10	मठलगा पिलंग / चमोली	190नं0	0.160है0	5280.00	2640.00	132132.00	2643.00	13213.00	83–EC–1(184) / 2013 dt 4-8-2013

- निविदा में निर्धारित उपखनिज की मात्रा उपरोक्त तालिका के कालम–6 में प्रदर्शित मात्र की निकासी के उपरानत निविदत क्षेत्र में सफल निविदाकर द्वारा अतिरिक्त जमा उपखनिज के चुगान हेतु अनुरोध करने पर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सिंचाई विभाग, प्रभागीय वनाधिकारी के प्रतिनिधि, भूवैज्ञानिक तथा खान अधिकारी सदस्य सचिव, की गठित समिति की स्थलीय निरीक्षण आख्या के अधार पर अवशेष आगणित उपखनिज की मात्रा (कालम–6 में प्रदर्शित मात्रा किसी भी दशा में ई.आई.ए. अथवा भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक न होने पाये) पर सफल निविदत मूल्य के आधार पर सफल निविदाकर को अवशेष अवधि अर्थात 30 जून, 2017 तक अनुमति प्रदान की जायेगी।
- सफल निविदादाता द्वारा स्वीकृत चुगान क्षेत्र में चुगान कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं चुगान समाप्ति के समय आधुनिक उपकरण ड्रोन से लिया गया फोटोग्राफ खान अधिकारी, खान भूतत्व एव खनिकर्म इकाई चमोली व जिलाधिकारी चमोली को सफल निविदाकर के व्यय पर जमा करना होगा।
- निविदाकर्ता क्षेत्र की निविदा डाले जाने से पूर्व क्षेत्र का निरीक्षण कर खनन क्षेत्र की स्थिति तथा खनिज के सम्बन्ध में जानकारियों से अपने को आश्वस्थ कर लें।
- नियत तिथि/समय के उपरान्त प्राप्त निविदाओ पर विचार नहीं किया जागयेगा।
- किसी भी निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार जिलाधिकारी चमोली के पास सुरक्षित होगा।
- प्रत्येक निविदा क्षेत्र हेतु निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 1,00,000.00+ 13.5 % वैट अर्थात रूपया 13500.00 कोषागार चालन के माध्यम से सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा कराये जाने के उपरान्त निविदा हेतु प्रपत्र तथा अन्य विस्तृत विवरण जिला कार्यालय चमोली एवं खान अधिकारी, चमोली के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है अथवा विभागीय वेबसाईट htt//dgm.uk.gov.in एवं chamoli.nic.in से डाउनलोड किये जा सकते है, जो निविदाकार वेबसाईट पर निविदा प्रपत्र प्राप्त करेंगे व निविदा जमा करते समय निविदा शुल्क जमा किये जाने का साक्ष्य संलग्न करेंगे।

19.1.16

(विनोद कुमार सुमन)
जिलाधिकारी,
चमोली

क्रमशः.....3/–पर

निविदा आवंटन हेतु प्रकिया एवं खनन/चुगान की शर्तें

1. उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम–71 के अन्तर्गत अधीन गठित समिति को राज्य सरकार की ओर सफल निविदाकारों को चयन करने, बिना कोई कारण बताये समस्त निविदाओं को निरस्त करने, अपात्र निविदाकारों की निविदाएं निरस्त करने, निविदा प्रपत्र एवं वित्तीय निविदाएं खोलने, निविदा की स्वीकृति के अधिकार होगें। उक्त समिति निम्नानुसार होगी :–

जिलाधिकारी	– पीठासीन।
राज्य सरकार द्वारा नामित वित्त सेवा का अधिकारी	– सदस्य।
जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत प्रशासनिक अधिकारी	– सदस्य।
निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाकई द्वारा नामित जिला स्तरीय अधिकारी	– सदस्य सचिव।

2. किसी व्यक्ति को, जो भारतीय राष्ट्रीक नहीं है एवं जिसके विरूद्ध खनिज देय बकाया है, निविदा में भाग लेने की अनुमति नही है।

3. कोपरेटिव सोसाइटी के मामलों में भी पटटा प्राप्त करने वाली कोपरेटिव सोसाइटी में Common निदेशक नही होने चाहिए। कोपरेटिव सोसाइटी में उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी ही होंगे तथा इस आशय का शपथ पत्र भी निविदा का आवेदन देने के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। यदि पटटा निष्पादन के उपरान्त उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी से भिन्न व्यक्ति का तथ्य सामने आता है तो उक्त पटटा निरस्त करते हुए अग्रिम जमा धनराशि, प्रतिभूति धनराशि जब्त कर ली जायेगी। ऐसे अपात्र कोपरेटिव सोसाइटी को आगामी पॉच (05) वर्ष हेतु काली सूची में डाल दिया जायेगा।

4. एक व्यक्ति को एक खनन पटटा ही आवंटित किया जायेगा।

5. निविदा खोले जाने का समय प्रथमतः प्रपत्र एम0एम0–17 प्रपत्र–1 (निविदा प्रपत्र) खोला जायेगा, जिसमें असफल/अनुपयुक्त पाये जाने पर निविदाकार को निविदा समिति द्वारा असफल घोषित कर दिया जायेगा तथा ऐसी स्थिति में प्रपत्र एम0एम0–17 प्रपत्र–II (वित्तीय निविदा) नहीं खोला जायेगा एवं उसे मूल रूप में बयाना धनराशि के साथ सम्पूर्ण प्रकिया समाप्त होने के उपरान्त निविदाकार को डाक द्वारा वापिस भेज दिया जायेगा।

6. निविदा खोले जाने के समय निविदाकार स्वयं अथवा उनके अधिकृत व्यक्ति को निविदा कक्ष में बैठने की अनुमति होगी। अधिकृत व्यक्ति की दशा में अधिकृत पत्र दिखाने की दशा में ही प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।

7. समस्त निविदाकारों में से अधिकतम निविदा (निविदित मूल्य किसी भी दशा में आधार मूल्य से कम नहीं होना चाहिए) देने वाले निविदाकार का ही चयन किया जायेगा।

8. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में प्राप्त पर्यावरणीय अनुमति सफल निविदाकार के पक्ष में हस्तान्तरित की जायेगी। खनन पटटाधारक की खनन सक्रियाओं पर पर्यावरणीय अनुमति हस्तान्तरण में होने वाले विलम्ब का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

9. निविदा में घोषित सफल निविदाकार को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली– 2001 के नियम–17 में निर्धारित सीमाकन शुल्क सीमाबन्धन हेतु जमा किया जाना होगा।

10. सफल निविदाकार को सफल निविदाकार के नाम से व्यापार कर विभाग से टिन नम्बर प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

11. वार्षिक सफल निविदित मूल्य को 07 समान किस्तों में विभाजित कर दो किस्तें जिलाधिकारी पौड़ी के पक्ष में बंधक उत्तराखण्ड राज्य स्थित किसी भी अनुसूचित बैंक/राज्य एवं जिला सहकारी बैंक/अरबन कोपरेटिव बैंक अथवा राष्ट्रीकृत बैंक का सावधि जमा या बैंकर्स चैक/गारण्टी खनन पटटा विलेख से पूर्व जमा करेगा, जिसका समायोजन अन्तिम दो किस्त में किया जायेगा।

12. सफल निविदाकार को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह पटटावधि में समाशोधन क्षमता को कम नहीं करेगा।

13. सफल निविदादाता द्वारा पहली किस्त पटटा विलेख से पूर्व ट्रेजरी चालान के द्वारा जनपद पौड़ी के राजकीय कोषागार में जमा करायी जायेगी।

14. शेष किश्तों को भुगतान ट्रेजरी चालान के माध्यम से जनपद पौड़ी के राजकीय कोषागार में प्रत्येक माह की 20 तारीख तक देय होगी।

15. उप निदेशक, खनन (भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई) द्वारा अग्रिम किस्त जमा करने तथा पट्टा विलेख पंजीकरण के उपरान्त सफल निविदाकार के टिन नं० के आधार पर ई० रवन्ना का खाता विभाग पोर्टल पर खोला जायेगा।

16. देय तिथि से एक दिन पूर्व या निर्धारित अवधि को राजकीय अवकाश होने की दशा में उसके पूर्व की तिथि निर्धारित होगी।

17. जमा मासिक अग्रिम किस्त के सापेक्ष ही खनिजों की मात्रा के परिवहन हेतु ई प्रपत्र एम०एम०-11 निर्धारित मूल्य जमा करने के उपरान्त जारी किये जायेंगे। यदि खनन पट्टाधारक निर्धारित दिनांक से पूर्व ई एम०एम०-11 प्राप्त करना चाहता है तो आगामी भुगतान की किस्त जमा कर ई एम०एम०-11 निर्धारित मूल्य जमा कर प्राप्त कर सकता है। प्रपत्र ई एम०एम०-11 केवल निविदित मात्रा हेतु जारी किये जायेंगे। निविदा आधार मात्रा (क्रमांक-6) से अधिक परन्तु निर्धारित मात्रा (स्तम्भ-5) में प्रकाशित ई०आई०ए० की मात्रा तक की अतिरिक्त निकासी जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल के अनुमोदनोपरान्त आगामी 30 जून तक सफल निविदित मूल्य की दर से अतिरिक्त अग्रिम जमा किये जाने के उपरान्त ई एम०एम०-11 उप निदेषक, खनन द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

18. खनन पट्टाधारक द्वारा खनन संक्रियायें प्रारम्भ करने के उपरान्त आगामी माह की 20 तारीख तक अग्रिम जमा किया जायेगा। निर्धारित तिथि तक अग्रिम जमा न किये जाने की दशा में 24 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित जमा किया जायेगा।
उक्त के उपरान्त भी यदि अग्रिम जमा नहीं किया जाता है जिलाधिकारी द्वारा प्रतिभूति व अग्रिम धनराशि का समायोजन करते हुए खनन पट्टा निरस्त कर दिया जायेगा।
पट्टा निरस्तीकरण के उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय स्तर पर दूसरी निविदा प्रकिया पूर्ण होने तक अर्थात् जब तक दोबारा नियमित कार्य प्रारम्भ न हो जाय तब तक की अवधि हेतु उक्त क्षेत्र की दैनिक निकासी के आधार पर स्थानीय लोगों को निकासी हेतु दिया जायेगा और उक्त क्षेत्र में हो रहे प्रतिदिन के राजस्व हानि को पूर्व में आवंटित सफल निविदाकार के द्वारा जमा समाशोधन क्षमता प्रमाण-पत्र (Solvency Certificate) से वसूल किया जायेगा।

19. यदि खनन पट्टा निरस्त होने तथा अग्रिम जमा जब्त होने के उपरान्त भी कोई देयता बनती है तो खनन पट्टाधारक से पृथक से भू-राजस्व की भांति खनन राजस्व की वसूली की कार्यवाही की जायेगी और पट्टाधारक को 05 वर्ष हेतु काली सूची में डाल दिया जायेगा।

20. सफल निविदाकार द्वारा सीमाबन्धन शुल्क जमा करने के उपरान्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिकतम 15 दिन के अन्तर्गत खनन पट्टे पर धृत होने वाले क्षेत्र के सीमास्तम्भों के स्थानों को आवेदक को मौके पर राजस्व विभाग एवं वन विभाग की सहायता से खान अधिकारी या खान निरीक्षक द्वारा (नियम-17) चिन्हित किया जायेगा।

21. सीमांकित एवं चिन्हित स्थान पर सफल निविदाकार द्वारा क्षेत्र में सीमा स्तम्भों का निर्धारित मानकों (नियम-17) के अनुसार खनन क्षेत्र में खड़ा किये जाने का कार्य अधिकतम 03 दिन में पूर्ण कर उप निदेशक, खनन को लिखित रूप में सूचित किया जायेगा।

22. सीमास्तम्भों के क्षेत्र में स्थापित होने की सूचना प्राप्त होने के उपरान्त अधिकतम 03 दिन में बिन्दु सं०-10 में वर्णित अग्रिम जमा धनराशि के साक्ष्यों के उपरान्त कुल सफल निविदित मूल्य पर स्टाम्प ड्यूटी (स्टाम्प रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा सूचित) का आगणन प्राप्त कर प्रपत्र एम०एम०-06 में या लगभग उसके समान प्रपत्र में जैसा कि प्रत्येक मामले की परिस्थितियों से अपेक्षित हो, निर्धारित स्टाम्प (उपनिबंधन स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन की सूचना) पर पट्टा विलेख निष्पादन हेतु उप निदेशक, खनन द्वारा 07 दिन में तैयार किया जायेगा।

23. खनन पट्टा विलेख जिलाधिकारी द्वारा अधिकतम 15 दिन में निष्पादित किया जायेगा।

24. जिलाधिकारी से पट्टा निष्पादन के उपरान्त खनन पट्टा विलेख का पंजीकरण सफल निविदाकार के व्यय पर होगा।

25. पट्टे की अवधि की सगणना पट्टा विलेख पंजीयन की दिनांक से की जायेगी।

26. यथास्थिति उप निदेशक, खनन द्वारा क्षेत्र के मानचित्र सहित पट्टा विलेख की एक प्रतिलिपि उसके निष्पादन के उपरान्त पंजीकरण की दिनांक के 15 दिन के भीतर निदेशक को भेजी जायेगी तथा मूल प्रति उप निदेशक के कार्यालय में संरक्षित रहेगी। पट्टाधारक एक सत्यापित प्रति अपने पास रखेगा।

27. किन्हीं कारणों से जिन–जिन क्षेत्रों का राज्य सरकार की अनुमति के उपरान्त जिलाधिकारी या मण्डल आयुक्त द्वारा क्षेत्र के सम्बन्ध में आपत्ति दर्ज की जाती है जिसमें आवेदक की ओर से कोई गलती नहीं होने की दशा में निदेशक की अनुमति के उपरान्त अनुमति शासन द्वारा वापस ली जायेगी। ऐसी परिस्थिति में स्वीकृत जमा प्रतिभूति राशि तथा अग्रिम किस्त आवेदक को दो माह के अन्तर्गत वापस कर दी जायेगी। यदि निकासी हुई हो तो तदनुसार निविदित मूल्य के अनुरूप आंगणन कर धनराशि जमा करायी जायेगी।

28. खनन पट्टाधारक की मृत्यु की दशा में केवल परिवार के विधिक वारिस को खनन पट्टा के अवशेष अवधि हेतु हस्तान्तरित होगा।

29. खनन पट्टाधारक द्वारा जमा आगामी 02 माह की किस्त या 02 माह की लिखित नोटिस तथा देयक राज्य सरकार को भुगतान कर समर्पण स्वीकार होगा यदि पट्टाधारक का आचरण निम्नानुसार उपयुक्त रहा हो :–

(क) खनन पट्टाधारक यथा अपेक्षित विवरणी प्रस्तुत करने में नियमित रहा हो।

(ख) वह खनन परिहार की शर्तों के अनुसार प्रगतिशील योजना के लिए अपेक्षित कदम उठाये हों।

(ग) वह ऐसे आवेदन करने की तिथि तक सरकार के किन्हीं देयकों के भुगतान में चूक नही की है तथा नोटिस अवधि की समाप्ति की तिथि तक सभी देयकों के भुगतान का जिम्मा या तो अग्रिम नगदी में या प्रतिभूति या दोनों के समायोजन के रूप में देता है।

30. खनिज परिहार धारक को नियमावली के अनुसार निर्धारित प्रपत्र ई एम0एम0–11 पर खनिज निकासी करनी होगी।

31. परिवहन प्रपत्र ई एम0एम0–11 की पुस्तिका निर्धारित शुल्क जमा कर उप निदेशक, खनन से प्राप्त किया जायेगा।

32. खनिज परिहार धारक को खनन पट्टा क्षेत्रफल तथा निर्धारित मात्रा के आधार पर उप निदेशक, खनन द्वारा एक समय में अग्रिम जमा के सापेक्ष ई एम0एम0–11 को निर्गत किये जायेगें।

33. (i) खनिज परिहार धारक, पूर्ववर्ती मास के सम्बन्ध में आगामी माह के प्रथम सप्ताह में प्रपत्र एम0एम0–12 में उप निदेशक खनन को मासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(ii) जब कभी भी खनिज परिहार धारक बिन्दु–01 में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विवरण प्रस्तुत करने में विफल होता है तो वह रू0 2000/–की शास्ति का भागी होगा।

(iii) खनिज परिहार धारक खनन कार्य में लगाये जाने वाले सभी श्रमिकों की स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के विधि द्वारा स्थापित कानून का पालन करते हुए विवरण प्रस्तुत करेगा।

(iv) समस्त परिहार धारक खान नियमावली–1955 के अन्तर्गत प्रख्यापित प्रपत्रो के अनुसार दैनिक उपस्थिति पुस्तिका तैयार करेगा और सक्षम अधिकारी को निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक त्रैमास में खान में लगाये गये श्रमिकों का नाम पता सहित राज्य सरकार के श्रम मंत्रालय के जनपद स्तरीय अधिकारी एवं उप निदेशक, खनन को प्रत्येक त्रैमासिक सूचना आगामी 07 दिनों में उपलब्ध करायेगा।

(v) बिन्दु–01 के अधीन जमा विवरणियों के आधार पर आगणन अधिकारी (उप निदेशक, खनन) द्वारा प्रत्येक त्रैमास में एक तिथि निर्धारित कर खनिज परिहार धारक से खनिज उत्पादन, खनिज निकासी, खनिज उपयोग एवं खनिज भण्डारण विक्रय के बिल, श्रमिकों की उपस्थिति, भुगतानों एवं अन्य लेखा पुस्तकों को परीक्षण एवं निरीक्षण हेतु निर्धारित की जायेगी।

(vi) यदि खनिज परिहार धारक द्वारा बिन्दु–01 के अधीन जमा विवरणी त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है तो आगणन अधिकारी जैसा उचित समझे जाँच कर जमा की जाने वाली राजस्व का खनिज परिहार धारक को युक्ति युक्त अवसर प्रदान करते हुए निर्धारण कर सकता है।

(vii) बिन्दु–04 के अधीन जाँच हेतु आगणन अधिकारी 15 दिन का नोटिस देते हुए खनिज परिहार धारक को स्वयं या उसके अधिकृत प्रतिनिधि (जिसको उक्त तिथि हेतु अधिकृत खनिज धारक

द्वारा लिखित में किया जाय) का उपस्थित होकर विगत पाँच वर्षों के लेखे वही, उत्पादन, निकासी के आकड़ों सहित प्रस्तुत कर अभिलेखों की पुष्टि करायेगा।

(viii) बिन्दु–05 के अधीन जाँचोपरान्त आगणन अधिकारी समस्त पहलुओं का परीक्षण एवं साक्ष्य के अनुसार राजस्व भुगतान के आदेश अपने स्तर से ऊपर के स्तर के विभागीय खनन प्रशासन के अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त आदेश निर्गत करेगा।

(ix) यदि खनन परिहार धारक आगणन अधिकारी द्वारा आगणित किये गये आंकलन से संतुष्ट नहीं है तो वह 30 दिन के अन्दर निम्नलिखित आधारों हेतु आगणन अधिकारी के समक्ष पुनः आगणित किये गये आंकलन को पुनर्विचार हेतु प्रस्तुत कर सकता है।

(क) खनिज परिहार धारक को आगणन के नोटिस प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) खनिज परिहार की युक्ति युक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

यदि आगणन अधिकारी खनिज परिहार धारक की उक्त बातों से संतुष्ट होता है तो पुनः आगणन उपरोक्त वर्णित प्रकिया के आधार पर कर सकता है।

यदि आगणन अधिकारी पुनः आगणन की आवश्यकता प्रतीत होती है तो वह पुनः आगणन प्रारम्भ कर सकता है।

(x) यदि किसी कारणवश किसी वर्ष में खनन परिहार क्षेत्र से खनिज की निकासी अधिक करके कम राजस्व का भुगतान किया गया हो या रायल्टी की चोरी की गयी हो तो आगणन अधिकारी नोटिस देकर पुनः आगणन प्रारम्भ कर सकता है।

34. क्षेत्र में खनन/चुगान की अनुमति State Level Environment Assessment Authority Uttarakhand द्वारा प्रदत्त अनुमति, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश, मा० उच्चतम न्यायालय या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा उसके अन्तर्गत प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2001, उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली–2005, निदेशक, भूतत्व एव खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, जिलाधिकारी, उप निदेशक खनन, राज्य सरकार द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत होगी। खनन पट्टाधारक को उपरोक्तानुसार दिशा–निर्देशों का अनुपालन करना होगा।

निविदा प्रपत्र एम0एम0–17 के साथ उपलब्ध कराये जाने वाली सूचना

निविदा प्रपत्र का मूल्य :– प्रत्येक निविदित क्षेत्र हेतु ट्रेजरी चालान के माध्यम से रू0 1,00,000/–(रू0 एक लाख मात्र) (लेखाशीर्षक 0853 अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, 102 खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क, 01 खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क) + 13.5 वैट (लेखाशीर्षक 0040 बिक्री, व्यापार आदि पर कर 102 राज्य व्यापार कर/वाणिज्य कर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियां, 01 कर संग्रहण) बिना शुल्क जमा किये प्राप्त निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा।

हैसियत प्रमाण पत्र :–

1. जिलाधिकारी.....................या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई हैसियत प्रमाण या सम्पत्ति प्रमाण–पत्र या समाशोधन क्षमता प्रमाण–पत्र (Solvency Certificate) अथवा बैंक गारण्टी निविदित क्षेत्र के आधार पर मूल्य का 10 प्रतिशत के बराबर।
2. यदि हैसियत प्रमाण–पत्र अद्यतन न हो तो, इस शर्त के साथ अन्तरित रूप से स्वीकार किया जायेगा कि आवेदक इसका शपथ पत्र प्रस्तुत करे कि इस दौरान (हैसियत प्रमाण–पत्र की तिथि से अद्यतन) निविदाकार के द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र में अंकित चल/अचल सम्पत्ति का विक्रय/हस्तान्तरण नहीं किया गया है।
3. हैसियत प्रमाण–पत्र के एवज में इसी मूल्य की बैंक गारण्टी स्वीकार की जा सकेगी।
4. यदि किसी आवेदक के पास अचल सम्पत्ति नहीं है, तो वह अपने परिवार के सदस्य/सदस्यों की सम्पत्ति को लाईसेंसिंग प्राधिकारी के नाम बन्धक (Mortgage) कर हैसियत प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है।
5. हैसियत प्रमाण पत्र की राशि में कमी की राशि के एवज में कमी की राशि के बराबर राशि एफ0डी0आर0 (नियमानुसार निर्धारित बैंकों से बने) जो जिलाधिकारी, गढ़वाल के नाम प्रतिश्रुत होंगे, जमा कराये जा सकेंगे।

बयाना धनराशि (Earnest Money)

प्रत्येक निविदाकार से प्रत्येक निविदित क्षेत्र हेतु बयाना धनराशि (Earnest Money) के रूप में आधार मूल्य का 02 प्रतिशत जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल के पक्ष में उत्तराखण्ड राज्य स्थित किसी भी अनुसूचित बैंक/राज्य एवं जिला सहकारी बैंक/अरबन कोपरेटिव बैंक अथवा राष्ट्रीकृत बैंक में ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक के माध्यम से प्रस्तुत किया जायेगा। सफल निविदाकार को छोड़कर अन्य निविदाकारों की बयाना धनराशि (Earnest Money) को वापस कर दिया जायेगा। सफल निविदाकार की बयाना धनराशि (Earnest Money) को अग्रिम धनराशि में समायोजित कर लिया जायेगा।

निविदा प्रपत्र एम0एम0–17 प्रपत्र–I (निविदा प्रपत्र) के साथ निम्न संलग्नक होंगे :–

1. आयकर के सम्बन्ध में निम्नानुसार शपथ पत्र :–
   - (क) आयकर विवरण up to date जमा की गई हो।
   - (ख) आगणित आयकर जमा किया गया है।
   - (ग) स्वमूल्यांकन के आधार पर आगणित आयकर जमा किया गया है।

निविदाकार द्वारा निविदा प्रपत्रों में अपना आयकर विभाग से प्राप्त पैन नम्बर अंकित करना अनिवार्य होगा, किन्तु यदि किसी निविदाकार के पास पैन नम्बर नहीं हो तो उसे यह शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि उसके नाम खनन पट्टा आवंटित होता है तो वह खनन पट्टा चलाना प्रारम्भ करने से पूर्व आयकर विभाग से पैन नम्बर प्राप्त करने हेतु आवेदन देकर विभाग को सूचित करेगा अन्यथा उसे दिया गया खनन पट्टा निरस्त कर दिया जायेगा।

(ii) व्यापार कर विभाग का अदेयता प्रमाण पत्र (विज्ञप्ति से 06 माह पूर्व तक का) की छायाप्रति स्वयं सत्यापित या अद्यतन शपथ पत्र।

(iii) जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थायी निवास प्रमाण–पत्र की छायाप्रति स्वयं सत्यापित।

(iv) जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र की छायाप्रति स्वयं सत्यापित।

(v) स्वप्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो निविदा प्रपत्र एम0एम0–17 प्रपत्र–I में निर्धारित स्थान पर चस्पा की जानी होगी।

(vi) निविदाकार व्यक्ति या निविदाकार समिति के विरुद्ध खनन बकाया न होने का अद्यतन शपथ पत्र (नोटरी द्वारा सत्यापित) या खनन अदेयता प्रमाण–पत्र की छायाप्रति स्वयं सत्यापित।

(vii) निकासी गेट पर इलैक्ट्रोनिक तुलाई मशीन लगाये जाने की बचनबद्धता या निकासी गेट के आस–पास अन्य कार्यरत इलैक्ट्रोनिक तुलाई मशीन के साथ अनुबन्ध की बचनबद्धता।

(viii) हैसियत प्रमाण–पत्र की छायाप्रति स्वयं सत्यापित।

(ix) बयाना धनराशि (Earnest Money) की मूल प्रति।

(x) कोपरेटिव सोसाइटी के सम्बन्ध में कॉपी ऑफ रेग्यूलेशन समस्त पृष्ठों की स्वप्रमाणित प्रति।

(xi) निविदा शुल्क जमा ट्रेजरी चालान की प्रतियां मूल में।

(xii) निविदा आवंटन हेतु प्रक्रिया एवं खनन चुगान की शर्तों का प्रारूप की स्वहस्ताक्षरित प्रति।

निविदा प्रपत्र एम0एम0–17 प्रपत्र–II (वित्तीय निविदा)

1. स्वप्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो निविदा प्रपत्र एम0एम0–17 प्रपत्र–I में निर्धारित स्थान पर चस्पा की जानी होगी।
2. लिफाफे के ऊपर खनन क्षेत्र का नाम विज्ञप्ति की क्रमांक व दिनांक एवं निविदा प्रपत्र एम0एम0–17 प्रपत्र– II (वित्तीय निविदा) अंकित होना अनिवार्य।

निविदा जमा किये जाने हेतु

(1) सील बन्द लिफाफे में समस्त वांछित स्वहस्ताक्षरित अभिलेखों सहित जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करायी जायेगी।

(2) निविदा जमा करने से पूर्व समस्त संलग्नक अभिलेखों पर पृष्ठ संख्या अंकित की जानी होगी तथा समस्त अभिलेखों की कुल संख्या एवं कुल पृष्ठ संख्या निविदा प्रपत्र के अन्त में अंकित की जानी चाहिए।

(3) प्रथम लिफाफे में निविदा प्रपत्र एम0एम0–17 प्रपत्र–I(निविदा प्रपत्र)एवं समस्त वांछित अभिलेखों जिनके समस्त पृष्ठ स्वप्रमाणित हो, बयाना धनराशि जमा किये जाने के मूल अभिलेख निविदा शुल्क जमा किये जाने के मूल अभिलेख रखकर सील बंद किये जायेंगे।

(4) द्वितीय लिफाफे में प्रपत्र निविदा प्रपत्र एम0एम0–17 प्रपत्र–II (वित्तीय निविदा) मूल प्रति में एवं स्वहस्ताक्षरित रखी जायेगी। इसके अतिरिक्त कोई अभिलेख अथवा अवांछित सूचना रखे जाने तथा किसी भी प्रकार की शर्त/अनुरोध अभिलिखित किये जाने से निविदा स्वतः निरस्त मानी जायेगी। कमेटी द्वारा ऐसी निविदा को अस्वीकार कर दिया जायेगा। निविदाकार द्वारा लिफाफे को सीलबन्द कर दिया जाना आवश्यक होगा।

(5) निविदाकार द्वारा उपर्युक्त दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में रखकर सील बन्द कर दिया जाना होगा।

(6) उपयुक्त तीनों लिफाफों के आवरण/मुख्य पृष्ठ पर निविदित खनन क्षेत्र का नाम, ग्राम, तहसील निविदा कमांक संख्या एवं निविदाकार के हस्ताक्षर होने आवश्यक होंगे तथा प्रथम लिफाफे के ऊपर "निविदा प्रपत्र एम0एम0–17 प्रपत्र–I (निविदा प्रपत्र)" तथा दूसरे लिफाफे में "निविदा प्रपत्र एम0एम0–17 प्रपत्र–II (वित्तीय निविदा)" अंकित किया जाना आवश्यक होगा।

(7) निविदा प्रपत्र एम0एम0–17 प्रपत्र–I (निविदा प्रपत्र) निविदा फार्म में निविदित मूल्य का वर्णन पूर्णतः वर्जित होगा। ऐसी निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी।

(8) निविदा प्रपत्र एम0एम0–17 प्रपत्र–I (निविदा प्रपत्र) व निविदा प्रपत्र एम0एम0–17 प्रपत्र– II (वित्तीय निविदा) में समस्त प्रवृष्टियां पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से अंकित की जायेगी/अपूर्ण निविदा प्रपत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(9) निविदा प्रपत्र एम0एम0–17 प्रपत्र– II (वित्तीय निविदा)में निविदित मूल्य तथा समस्त इकाई (यूनिट) स्पष्ट होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की ओवर राईटिंग निविदा प्रपत्र अस्वीकृत माना जायेगा।

(10) निविदित धनराशि अंकों तथा शब्दों में अभिलिखित की जानी होगी। अन्यथा निविदा को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(11) निविदा प्रपत्र एम0एम0–17 प्रपत्र–I (निविदा प्रपत्र) एवं निविदा प्रपत्र एम0एम0–17 प्रपत्र– II (वित्तीय निविदा) जिलाधिकारी कार्यालय पौड़ी गढ़वाल में स्वीकृत प्रारूप (Format) पर ही मान्य होगी। अन्यथा की स्थिति में निविदा निरस्त मानी जायेगी।

(12) निविदाकार द्वारा एक बार जमा की गयी निविदा अन्तिम होगी तथा उसमें किसी भी प्रकार का निविदा में संशोधन या निविदा वापिस प्राप्त किया जाना अनुमन्य नही होगा तथापि यदि कोई निविदाकार निविदा खोले जाने से पूर्व वापिस प्राप्त करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में उसकी निविदा प्रपत्र मूल्य तथा बयाना धनराशि जब्त करते हुए निविदा प्रकिया में पृथक कर दिया जायेगा।

एम0एम0–17
(नियम–27–क)

प्रपत्र–I (निविदा प्रारूप)

खनन क्षेत्र का नाम–

1	खनन क्षेत्र का विवरण–खसरा सं0............ क्षेत्रफल.......... है0	
2	तहसील–	
3	जिला–पौड़ी गढ़वाल	
4	खनिज–रेता, बजरी, बोल्डर	
5	आधार मात्रा......... आधार मूल्य......... अंकों में.................. शब्दों में............	
6	निविदाकार का नाम	
	(1) निजी व्यक्ति	
	पिता का नाम/पति का नाम	
	पूरा पता................................	
	स्थायी पता–	
	टेलीफोन नं0	
	मोबाइल नं0	
	पैन कार्ड नं0	
	(2) कोपरेटिव सोसाइटी	
	पूरा पता.....................	
	स्थायी पता....................	
	टेलीफोन नं0	
	मोबाइल नं0	
	पैन कार्ड नं0	
7	1. आवेदन पत्र शुल्क रू0 1,00,000/– 2. व्यापार कर रू0..................	1. ट्रेजरी चालान सं0.......... दिनांक........ 2. ट्रेजरी चालान सं0.......... दिनांक........
8	अर्नेस्ट मनी का विवरण अंकों में................................ शब्दों में................................	बैंक का नाम................................ ड्राफ्ट सं0.................. दिनांक..........
9	आवेदनकर्ता के खनन पट्टों का विवरण (10.00 रू0 के स्टाम्प पेपर पर)	पृथक से संलग्न करें–कुल पट्टों की संख्या.............. कुल क्षेत्रफल...........
10	शपथ पत्रों का विवरण (सूची पृथक से संलग्न करें)	संलग्नकों की संख्या............
11	कोपरेटिव सोसाइटी का कॉपी ऑफ रेजुलेशन	

मैं/हम घोषणा करते हैं कि प्रस्तुत आवेदन पत्र में दिये गये विवरण सही व सत्य हैं। यदि भविष्य में इस सम्बन्ध में कोई सूचना का विवरण मांगा जायेगा उसको उपलब्ध कराऊंगा। मैंने निविदा की सम्पूर्ण शर्तें पढ़ ली गयी गयी हैं और मैं उनको स्वीकार करता हूं।

हस्ताक्षर

एम0एम0–17

(नियम–27–क)

प्रपत्र–II (निविदा प्रारूप)

खनन क्षेत्र का नाम–

1	खनन क्षेत्र का विवरण–खसरा सं0............ क्षेत्रफल.........है0	
2	तहसील–	
3	जिला–पौड़ी गढ़वाल	
4	खनिज–रेता, बजरी, बोल्डर	
5	आधार मात्रा........ आधार मूल्य......... अंकों में...................... शब्दों में.............	
6	निविदाकार का नाम	
	(1) निजी व्यक्ति	
	पिता का नाम/पति का नाम	
	पूरा पता..	
	स्थायी पता–	
	टेलीफोन नं0	
	मोबाइल नं0	
	पैन कार्ड नं0	
	(2) कोपरेटिव सोसाइटी	
	पूरा पता....................	
	स्थायी पता....................	
	टेलीफोन नं0	
	मोबाइल नं0	
	पैन कार्ड नं0	
7	कोपरेटिव सोसाइटी का कॉपी ऑफ रेगुलेशन	
8	आधार मूल्य (अंकों में)................................ शब्दों में..	
9	निविदित मूल्य (अंकों में).. शब्दों में..	

मैं/हम घोषणा करते हैं कि प्रस्तुत आवेदन पत्र में दिये गये विवरण सही व सत्य हैं। यदि भविष्य में इस सम्बन्ध में कोई सूचना का विवरण मांगा जायेगा उसको उपलब्ध कराऊंगा। मैंने निविदा की सम्पूर्ण शर्तें पढ़ ली गयी गयी है और मैं उनको स्वीकार करता हूं।

हस्ताक्षर